

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या - 104/2019

तारीख ~~का~~ 14/6/2019

प्रेषिति :-

✓ तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 104/1e / 2019 पत्थरगढ़ी बाबत।

हगामी पत्नि किशना जाति भील उम्र वयस्क निवासी निमड़ी गवां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम


रमेश पिता भैरु जाति भील उम्र वयस्क निवासी निमड़ीगवां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम निमड़ीगवा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 16 पर अंकित आराजी संख्या 14 रकबा 4-08 बीघा भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/- तय किये जाकर प्रार्थी मौके पर अदा करेगा ।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ